

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 53/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

जगदीशचन्द्र पुत्र बालूराम शर्मा निवासी शिवपुरी तह0 शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1 कैलाश पुत्र बालूराम शर्मा
- 2 बलवीरसिंह पुत्र घीसूसिंह राजपूत
- 3 ठा नारायण पुत्र गिरवरसिंह राजपूत
- 4 गिरवरधारी मन्टिर जरिये पुजारी हनुमानदास पुत्र सोहनदास निवासियान् शिवपुरी तह0 शाहपुरा
- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री दीपक पारीक
अधिवक्ता प्रर्थी

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 05/10/2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2363/1319 रकबा 0.34 कुल किता 1 रकबा 0.34 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि का विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आय दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनने गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शिवपुरी संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी खातेदार/ संयुक्त खातेदार इज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरी में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.34 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्ज में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
महाश्वर केन्दर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)